भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3105
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ठाणे जिले में जल जीवन मिशन के तहत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन

3105. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) के तहत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) की प्रदान की गई स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) पीने के पानी की गुणवत्ता और जल आपूर्ति की नियमितता की निगरानी किस प्रकार की जा रही है;
(ग) गर्मियों के मौसम में पानी की कमी का सामना करने वाले क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और
(घ) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को बैंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में मिशन की शुरुआत के समय में, केवल 66,075 (25.29%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। आज की तारीख तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जिले के 2.61 लाख ग्रामीण परिवारों में से 1.98 लाख (75.93%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना है (स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस)।

महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन की खामियों को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है:

i) **जल अर्पण दिवस का आयोजन -** समुदाय को योजना को पारदर्शी तरीके से सौंपने के लिए आयोजन, जिसमें स्थानीय सांसदों और विधायकों को आमंत्रित किया जाना अपेक्षित है।
ii) **जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू)** का गठन किया जाएगा ताकि पंचायतों और गांवों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और सहायता प्रदान की जा सके।
iii) **जल सेवा आकलन** सभी गांवों के लिए पंचायत द्वारा किया जाएगा। **जिला तकनीकी इकाई** (डीटीयू) द्वारा मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और डीडब्ल्यूएसएम द्वारा की उन पर कार्रवाई की जाएगी।
iv) **सुजलाम भारत डेटाबेस** का उपयोग जेजेएम आईएमआईएस, पीएम गति शक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रामीण क्षेत्रों की सभी जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की सूचना देने के लिए किया जाएगा।
v) **ओ एंड एम नीति को अंतिम रूप देना** - राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार राज्य ओ एंड एम नीति की अधिसूचना के कार्य में तेजी लाना।
vi) **तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए)** - जिला प्रशासनिक प्राधिकारियों की भागीदारी के साथ जेजेएम के अंतर्गत सभी कार्यों के निरीक्षण हेतु।
vii) **स्रोत और परिसंपत्ति संरक्षण परामर्शी पत्र** जिला स्तर पर जारी करना ताकि पाइपलाइनों, जलाशयों और पंप हाउसों सहित जल स्रोतों तथा जेजेएम परिसंपत्तियों की संरक्षा की जा सके।

राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि मानसून से पहले और मानसून के बाद के मौसम के दौरान जल गुणवत्ता परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण परिवारों को आपूर्ति किया जा रहा पेयजल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। स्वच्छ पेयजल की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन

एजेंसियों और फील्ड पदाधिकारियों द्वारा जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यकरण की आवधिक निगरानी की जाती है।

इसके अलावा, जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। पेयजल आपूर्ति की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, मिशन में विशेष रूप से जल की कमी, सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों में थोक जल अंतरण, शोधन और संवितरण अवसंरचना के सृजन के साथ-साथ पेयजल स्रोतों के विकास, सुदृढ़ीकरण और संवर्धन का प्रावधान किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे वीबी जी राम जी पूर्ववर्ती मनरेगा, वित्त आयोग से सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं और सीएसआर पहलों जैसे कार्यक्रमों के तालमेल के माध्यम से वर्षा जल संचयन, पुनर्भरण संरचनाओं, जल निकायों के कायाकल्प और ग्रेवाटर के पुन: उपयोग जैसे स्रोत स्थिरता उपाय करें। इन प्रयासों में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन, जल संचय जनभागीदारी, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम और अटल भूजल योजना सहित राष्ट्रीय पहलों द्वारा सहायता की गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे सभी स्तरों पर तैयारियों की स्थिति की समीक्षा करें और पाइपगत जलापूर्ति की अवसंरचना को कार्यान्वित रखने के लिए आवश्यक सभी संभव उपाय करें और गर्मी की अवधि के दौरान पेयजल आपूर्ति में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए किसी भी अंतराल को पाटने के लिए त्वरित कार्रवाई करें।

राज्य ने ठाणे जिले में सभी लंबित परियोजनाओं को जून 2028 तक पूरा करने की आयोजना बनाई है।
